कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी फैजाबाद

पत्र सं0– आई–7/एफ0एस0/2011 (रिटेलआउटलेट) दिनांक :– 14-08-2015

सेवा में,

जिलाधिकारी
फैजाबाद

विषयः– इन्डियन आयल कारपोरेशन लि0 गोरखपुर द्वारा गाटा/खसरा सं0 568 मि. व 570 मि. ग्राम सफदर भारी तहसील मिल्कीपुर जनपद फैजाबाद पर रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी आख्या।

सन्दर्भः–आपका पत्रांक–773/आयु0लि0/NOC-IOCL/2015 दिनांक 07.07. 2015

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में मेरे द्वारा अग्निशमन अधिकारी फैजाबाद से अग्नि से सुरक्षा की दृष्टिकोण से स्थलीय निरीक्षण कराया गया निम्नवत् पाया गया–

(क) ढाँचागत सुरक्षा व्यवस्थाः–

1. प्रस्तावित स्थल फैजाबाद–रायबरेली मुख्य मार्ग पर माइल स्टोन 90 व 91 के मध्य स्थित है। रोड वाइडनिंग को मिलाकर पहुँच मार्ग पर्याप्त है।
2. प्रस्तावित मानचित्र के अनुसार सुरक्षा दूरी में किसी प्रकार का आपत्ति जनक कार्य/निर्माण नहीं पाया गया है।
3. कुल प्लाट एरिया 1655.36 वर्ग मी0 प्रस्तावित है जिसमें फ्यूल पम्प, कार्यालय, लुब्रीकेन्ट स्टोर एवं सेल्स रुम बनाए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाएं:–

आन साइट रिटेल आउट लेट पर निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएं प्रस्तावित की जाती है–

1. प्रत्येक रिटेल आउटलेट पर डी0सी0पी0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर 10 केजी0 क्षमता का 2 अदद लगाया जायेगा।
2. जनरेटर रुम पर 10 केजी0 क्षमता का डी0सी0पी0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर एक अदद व्यवस्थित किया जायेगा।
3. वेन्ट पाइप के पास एक अद्द 10केजी0 क्षमता का डी0सी0पी0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर व्यवस्थित किया जायेगा।
4. कार्यालय में 4.5 केजी0 क्षमता का एक अद्द सीओटू टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर व्यवस्थित किया जायेगा।
5. सेल्स रुम तथा लुब्रीकेन्ट स्टोर में एक–एक अदद ए0बी0सी0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर व्यवस्थित किया जायेगा।
6. रिजर्व बालू टैंक 6×3×3 घन फिट का बनाया जायेगा।
7. धूम्रपान निषेध तथा आपात कालीन टेलीफोन पट्टिका लगायी/बनायी जायेगी जिस पर टेलीफोन नं0 101, 100, 05278–224233 व स्थानीय पुलिस स्टेशन का टेलीफोन नं0 अंकित किया जायेगा।

8. अनुमोदित मानचित्र में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा यदि परिवर्तन किया जाना अपरिहार्य है तो इस कार्यालय से पुनः अनुमोदित कराना अनिवार्य होगा।

आवेदक को इस शर्त पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है कि उनके द्वारा उपरोक्त बिन्दुवार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अधिष्ठापित कराकर अग्निशमन विभाग से अग्निशमन उपकरणों का निरीक्षण/परीक्षण कराकर अन्तिम अग्निसुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त तेल भण्डारण व विक्रय कार्य करेगें। प्रत्येक वर्ष रिटेल आउटलेट पर अधिष्ठापित अग्निशमन उपकरणों/यंत्रो एवं अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण/परीक्षण कराने व कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

अतः उपरोक्त शर्तो/प्रतिबन्धों का पालन करने पर अधोहस्ताक्षरी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र।

14.8.15

(महावीर प्रसाद)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
फैजाबाद

<u>प्रतिलिपिः–</u>

आवेदक को एक प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त व्यवस्थाओं एवं निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित् करेंगे।